नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम मे जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या :– 07/2017

दायर दिनांकः– 21.03.2017
फैसल दिनांकः– 29.01.2020

1. श्रीमती केशर बेवा रूपाजी रावल (जोगी) उम्र 65 वर्ष पेशा गृहणी निवासी कानपुर (पाटिया) तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जसवंत कुमार पिता रूपाजी रावल (जोगी) उम्र 40 वर्ष पेशा व्यापार निवासी कानपुर (पाटिया) तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. सचिव ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री हिम्मतसिंह गरासिया

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

1. मौजा कानपुर पटवार हल्का पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2067–2070 की खाता संख्या नयी 37 पुरानी 104 कुल किता 1 क्षेत्रफल 0.07 हैक्टर की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार वादीगण है। उक्त आराजी संख्या 620 रकबा 0.07 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटिया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि पुश्तैनी है जिसके मूल पुरूष खातेदार रूपा पिता पुत्र जोगी (रावल) थे जिनकी दिनांक 10.08.2004 को मृत्यु हो गयी जिनकी मृत्यु पश्चात् वर्ष 2010 में नामान्तरकरण वारिसान मुकेश कुमार, जसवंत कुमार (वादी संख्या 2)

फैसला दिनांक:— 29.01.2020

1. श्रीमती केसरी बेवा रूपाजी रावल (जोगी) उम्र 65 वर्ष पेशा गृहणी निवासी कानपुर (पाटिया) तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री जसवंत कुमार पिता रूपाजी रावल (जोगी) उम्र 40 वर्ष पेशा व्यापार निवासी कानपुर (पाटिया) तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. सचिव ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री हिम्मतसिंह गरासिया

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

1. मौजा कानपुर पटवार हल्का पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2067–2070 की खाता संख्या नयी 37 पुरानी 104 कुल किता 1 क्षेत्रफल 0.07 हैक्टर की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार वादीगण है। उक्त आराजी संख्या 620 रकबा 0.07 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटिया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी जो कि पुश्तैनी है जिसके मूल पुरूष खातेदार रूपा पिता धुला जोगी (रावज) थे जिनकी दिनांक 10.08.2004 को मृत्यु हो गयी जिनकी मृत्यु पश्चात् वर्ष 2010 में नामान्तरकरण वारीसान मुकेश कुमार, जसवंत कुमार (वादी संख्या 2) केसरी बेवा रूपा जोगी (वादी संख्या 1) सहखातेदार के नाम खोला गया एवं खातेदारी घोषित किए गये। जिसकी नामान्तरकरण संख्या 127 है तथा दिनांक 04.03.2010 है।

28/1/2020

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

यह कि वादीगण के सह खातेदार वादी संख्या 1 के पुत्र एवं वादी संख्या 2 के भाई मुकेश कुमार ने आपने हिस्से की भूमि ग्राम पंचायत पाटीया को दान (गिफ्ट) करना चाहा। ग्राम पंचायत पाटीया को भी भूमि की आवश्यकता थी। वादीगण के सह खातेदार मुकेश द्वारा अपना हिस्सा 1/3 भाग खाता संख्या 104 आराजी नम्बर 620 दरी रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में ग्राम पंचायत पाटीया को सार्वजनिक उपयोग हेतु हिस्सा दान में दे दिया।

3. यह कि वादीगण के सह खातेदार वादीसंख्या 1 के पुत्र एवं वादी संख्या 2 के भाई मुकेश कुमार ने आपने हिस्से की भूमि ग्राम पंचायत पाटीया को दान (गिफ्ट) करना चाहा। ग्राम पंचायत पाटीया को भी भूमि की आवश्यकता थी। वादीगण के सह खातेदार मुकेश द्वारा अपना हिस्सा 1/3 भाग खाता संख्या 104 आराजी नम्बर 620 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में ग्राम पंचायत पाटीया को सार्वजनिक उपयोग हेतु हिस्सा दान में दे दिया।

4. यह कि वादीगण के पास आराजी संख्या 620 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 0.07X1076=7532 वर्गफीट भूमि इसमे से 1/3 हिस्सा सह खातेदार मुकेश की भूमि 7532/3 = 2510 वर्गफीट भूमि ग्राम पंचायत को तथा शेष वादीगण की भूमि 7532−2510 = 5022 वर्गफीट रही है।

5. यह कि सह खातेदार मुकेश कुमार द्वारा अपना हिस्सा 1/3 ग्राम पंचायत पाटीया को दान कर देने से राज्य सरकार द्वारा उक्त हिस्सा 1/3 को बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि में परिवर्तन किया गया जो कि दिनांक 11.06.2010 को नामान्तकरण संख्या 131 ग्राम पंचायत पाटीया में खोला गया उक्त भूमि को गैर काबिल काश्त भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. यह कि आराजी संख्या 620 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पाटीया के लिए निःशुल्क आवंटन 99 वर्ष लीज पर दिनांक 14/05/2010 किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 133 है जिसकी स्वीकृति होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। वादीगण का 2/3 हिस्सा शेष रहा जिसका क्षेत्रफल 5022 वर्गफीट है।

7. यह कि दिनांक 12.05.2016 से प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने ग्राम पंचायत के सेवा केन्द्र के परकोटे का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया राज्य सरकार द्वारा आवंटित कुल इसस [illegible]

हेतु हिस्सा दान में दे दिया।

3. यह कि वादीगण के सह खातेदार वादीसंख्या 1 के पुत्र एवं वादी संख्या 2 के भाई मुकेश कुमार ने अपने हिस्से की भूमि ग्राम पंचायत पाटीया को दान (गिफ्ट) करना चाहा। ग्राम पंचायत पाटीया को भी भूमि की आवश्यकता थी। वादीगण के सह खातेदार मुकेश द्वारा अपना हिस्सा 1/3 भाग खाता संख्या 104 आराजी नम्बर 620 रकबा 0.0700 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में ग्राम पंचायत पाटीया को सार्वजनिक उपयोग हेतु हिस्सा दान में दे दिया।

4. यह कि वादीगण के पास आराजी संख्या 620 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि अर्थात कुल 0.07X1076=7532 वर्गफीट भूमि इसमे से 1/3 हिस्सा सह खातेदार मुकेश की भूमि 7532/3 = 2510 वर्गफीट भूमि ग्राम पंचायत को तथा शेष वादीगण की भूमि 7532−2510 = 5022 वर्गफीट रही है।

5. यह कि सह खातेदार मुकेश कुमार द्वारा अपना हिस्सा 1/3 ग्राम पंचायत पाटीया को दान कर देने से राज्य सरकार द्वारा उक्त हिस्सा 1/3 को बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि में परिवर्तन किया गया जो कि दिनांक 11.06.2010 को नामान्तकरण संख्या 131 ग्राम पंचायत पाटीया में खोला गया उक्त भूमि को गैर काबिल काश्त भूमि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. यह कि आराजी संख्या 620 रकबा 0.0700 हैक्टर भूमि में से 1/3 हिस्सा राजीव गांधी सेवा केन्द्र पाटीया के लिए निःशुल्क आवंटन 99 वर्ष लीज पर दिनांक 14/05/2010 किया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 133 है जिसकी स्वीकृति होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया। वादीगण का 2/3 हिस्सा शेष रहा जिसका क्षेत्रफल 5022 वर्गफीट है।

7. यह कि दिनांक 12.05.2016 से प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 ने ग्राम पंचायत के सेवा केन्द्र के परकोटे का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया राज्य सरकार द्वारा आवंटित कुल खसरा का 1/3 भाग सं अधिक हिस्से पर परकोटा बनाना प्रारम्भ किया। वादीगण न मौके पर आकर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 से बात की तो कहने लगे कि सरकारी भूमि है हमे तो आवंटित हुई है। उन्हे जो करना हो कर लेना। जबकि आराजी नम्बर 620 वादीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी है जिसमें 2/3 हिस्सा वादीगण का निहित है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राज्य सरकार के नियमानुसार आवंटित भूमि से अधिक भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु दिनांक 09.06.2016 को रजिस्ट्री एडी नोटिस राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के अन्तर्गत 2 माह अवधि का कि वादीगण खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नही करने की हिदायत से साथ प्रेषित किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न कार्य को नही रोका परकाटे का कार्य पूर्ण कर वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। वादीगण ने इस्तदुआ की

(अ) कि इस आशय की डिक्री पारित की जाए कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी संख्या 620 रकबा 0.0700 में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि हिस्सा 1/3 भाग से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया वहां से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को अपना भाग हिस्सा 2/3 दिलाया जाये।

(ब) कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाए है कि प्रतिवादीगण स्वंय अथवा अन्य किसी के माध्यम से वादी वर्णित आराजी में वादीगण के हिस्सा 2/3 भाग पर कोई बाधा उत्पन्न नही करे न ही उनके भाग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे न ही किसी प्रकार का नुकसान कारित करे न ही वादीगण को उक्त आराजी में भाग 2/3 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें।

(स) कि इस आशय की आज्ञापक निषाधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वादीगण के कब्जे काश्त की वाद वर्णित आराजी 620 के भाग संख्या 2/3 पर अतिक्रमण नही करे न किसी अन्य से करावे न वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करे नही वादीगण को वाद वर्णित भूमि के हिस्सा 2/3 भाग के उपयोग उपभोग से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न ही किसी से करावे।

बहस में वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादीगण उसकी खातेदारी भूमि में दखलदाजी करते रहते है। अतः उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा कानपुर पटवार हल्का पाटीया जमाबंदी संवत् 2067–2070 की खाता संख्या नयी 37 पुरानी 104 कुल किता 1 क्षेत्रफल 0.07 हैक्टर की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार वादीगण है। उक्त आराजी संख्या 620 रकबा 0.07 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटिया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है वादी के 2/3 में उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें तथा उक्त [illegible] में वे प्रवेश नही करे तथा वे कार्य न तो स्वंय करे और न ही [illegible]
[illegible]

[illegible] की जाए कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी संख्या [illegible]
[illegible] में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि हिस्सा 1/3 भाग से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया वहां से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को अपना भाग हिस्सा 2/3 दिलाया जावे।

(ब) कि इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाए है कि प्रतिवादीगण स्वंय अथवा अन्य किसी के माध्यम से वादी वर्णित आराजी में वादीगण के हिस्सा 2/3 भाग पर कोई बाधा उत्पन्न नही करे न ही उनके भाग पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे न ही किसी प्रकार का नुकसान कारित करे न ही वादीगण को उक्त आराजी में भाग 2/3 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें।

(स) कि इस आशय की आज्ञापक निषाधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वादीगण के कब्जे काश्त की वाद वर्णित आराजी 620 के भाग संख्या 2/3 पर अतिक्रमण नही करे न किसी अन्य से करावे न वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करे नही वादीगण को वाद वर्णित भूमि के हिस्सा 2/3 भाग के उपयोग उपभोग से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे न ही किसी से करावे।

बहस में वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादीगण उसकी खातेदारी भूमि में दखलदाजी करते रहते है। अतः उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा कानपुर पटवार हल्का पाटीया जमाबंदी संवत् 2067–2070 की खाता संख्या नयी 37 पुरानी 104 कुल किता 1 क्षेत्रफल 0.07 हैक्टर की कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार वादीगण है। उक्त आराजी संख्या 620 रकबा 0.07 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत पाटिया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है वादी के 2/3 में उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें तथा उक्त आराजीयात में वे प्रवेश नही करे तथा ये कार्य न तो स्वंय करे और न ही अपने ऐजेन्ट नौकर या परिवाजन आदि के माध्यम से करावें। डिग्री पर्चा जारी कर प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।

(अनिल कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा